



क्र० : 1071/TLCMP/Mining/2020/F-124/108

दिनांक 21/06/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- Diversion of forest land non- forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining Project of NTPC Limited area-8.795 ha- regarding.

पंजीयक क्रमांक.- PF/CG/RAIL/35461/2018

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/तक./3532/बिलासपुर दिनांक - 11/06/2020

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग प्रोजेक्ट द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining Project हेतु कुल क्षेत्र 8.795 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन का प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के कार्यालय से मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर को प्रेषित किया गया था।

मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया है की प्रस्ताव के परिक्षण के उपरांत प्रस्ताव में कुछ कमियां पाई गई हैं। उल्लेखित कमियों की जानकारी निम्नलिखित है -

क्र०	मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के कार्यालय द्वारा बताई गई प्रस्ताव में कमियां।	एनटीपीसी द्वारा दी गई जानकारी/स्पष्टीकरण
1.	प्रकरण में कलेक्टर का वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण -पत्र कलेक्टर कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	प्रकरण में कलेक्टर का वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण -पत्र कलेक्टर कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में कलेक्टर द्वारा जारी वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण -पत्र में आवेदित वनक्षेत्र 9.851 हे. का संलग्न किया गया है। आवेदित वनभूमि 8.759 हे. है इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।	ग्राम डोलेसरा की भूमि खसरा नं. 155/1 की 1.728 हे. भूमि के लिए आवेदन दिया गया था। इसको जोड़कर कुल 9.851 हे. भूमि का वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण -पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किया गया था। प्रस्तावित भूमि में परिवर्तित मार्ग भी रखा गया था जिसकी जरूरत दुबारा अवलोकन के दौरान हटा दी गई इसलिए राजस्व वन भूमि का प्रस्ताव (ग्राम डोलेसरा के लिए) घटा करके 1.728 हे. की जगह 0.671 हे. प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रस्ताव में व्यपवर्तन के लिए (9.851-(1.728-0.672)=8.795 हे. भूमि प्रस्तावित है।

3.	आवेदित वन भूमि की गणना डी.जी.पी.एस. सर्वे के आधार पर जियोमेट्रिक सेंटर/वन प्रबंधक सूचना प्रणाली वनमण्डल से नहीं कराया गया है।	आवेदित भूमि का डी. जी. पी. एस सर्वे CCOST (छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी) रायपुर द्वारा किया गया है। CCOST (छ0ग0) सरकार की ही संस्था है। अतः CCOST द्वारा की गई आवेदित भूमि की गणना को स्वीकार करने की कृपा करें।
4.	प्रस्ताव में कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र में आवेदित वनक्षेत्र 8.502 हे. का संलग्न किया गया है। आवेदित वनभूमि 8.795 हे. है इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।	ग्राम डोलेसरा की भूमि खसरा नं. 155/1 की 1.728हे. भूमि के लिए आवेदन दिया गया था। इसको जोड़कर कुल 8.502हे. राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण -पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किया गया था। प्रस्तावित भूमि में परिवर्तित मार्ग भी रखा गया था जिसकी जरूरत दुबारा अवलोकन के दौरान हटा दी गई इसलिए राजस्व वन भूमि का प्रस्ताव (ग्राम डोलेसरा के लिए) घटा करके 1.728 हे. की जगह 0.671 हे. प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रस्ताव में व्यपवर्तन के लिए निम्नलिखित भूमि प्रस्तावित है: - 1. राजस्व वन भूमि =8.502-(1.728-0.672) =7.446 हे. भूमि प्रस्तावित है। 2. आरक्षित वन भूमि =1.349 हे. कुल आवेदित भूमि 8.795 हे.
5.	प्रस्ताव में अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला वन अधिकार समिति का प्रमाण पत्र भी सम्मिलित किया गया है।
6.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रु. 7,26,270/- की दर से योजना तैयार कर संलग्न किया जावे।	वन विभाग से संबंधित है।
7.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल को वन के मानचित्र में अंकित कर संलग्न नहीं किया गया है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल को वन के मानचित्र में अंकित कर वनमण्डलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है।
8.	प्रस्तावित क्षतिपूर्ति मानचित्र एवं डी.जी.पी.एस. मानचित्र में वनमण्डलाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्तावित क्षतिपूर्ति मानचित्र एवं डी.जी.पी.एस. मानचित्र में वनमण्डलाधिकारी का हस्ताक्षर कराकर कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है।

9. लीनीयर प्रस्ताव में 03 विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वनक्षेत्र का विवरण एवं मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है।

पूर्व में एनटीपीसी की रेलवे लाईन परियोजना के लिए 766.393 हे. वन भूमि का डाइवर्सन किया गया है। (Ref.no.F.no-8-18/2012-FC dated 23.05.2017) रेलवे लाईन के निर्माण कार्य के दौरान यह ज्ञात हुआ की निर्माण के लिए आवश्यक वन भूमि के कुछ टुकड़े पूर्व में प्राप्त अनुमति में शामिल नहीं है। राजस्व भूमि के रिकार्ड में त्रुटि होने की वजह से यह टुकड़े पूर्व के व्यपवर्तन प्रस्ताव में छुट गए थे।

वर्तमान प्रस्ताव में छुटी हुई राजस्व वन भूमि (=7.445 हे. टुकड़ों में) एवं आरक्षित वन भूमि (1.349 हे.) को सामील किया गया है।

क्योंकि रेलवे लाईन की कुल लम्बाई 65 k.m है, जिसके लिए मौजूदा प्रस्ताव में व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को छोड़कर समस्त भूमि अर्जित कर ली गई है, इसलिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्ताव में रखना संभव नहीं है।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव में तीन विकल्प देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः प्रकरण में निर्देशित कमियों की पूर्ति के लिए एनटीपीसी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी/स्पष्टीकरण आपके अवलोकन के लिए सादर संप्रेषित है।

भवदीय



मुख्य महाप्रबंधक

एनटीपीसी तलाईपाली को० मा० प्र०
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)